...यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

नं. 2/93/22 तारीख रजू...........................

लहरीराम बनाम ~~सुमरतलाल~~

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.04.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 350, वाके ग्राम मोती का नगला तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 06.05.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 06.05.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	copy Recd 6/5/22
6.5.22	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से श्री देवेन्द्र सिंह नरूका एड0 ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया। पत्रावली वास्ते बहस प्रा0 पत्र 212 RTA दिनांक 12.5.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
12.5.22	वकील उभय पत्रावली प्रा0 पत्र 212 RTA बहस वकील सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 10.6.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10/6/22	पत्रावली पेश हुई। वकीलान उप०। पत्रावली के तथ्यो प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व विद्वान अधिवक्ता वकीलान की बहस पर मनन करने पर यह प्रतीत होता है कि यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो सायल को क्षति होना संभव है प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनो बिन्दु सायलान के पक्ष में साबित है अतः सायलान का प्रार्थना-पत्र [illegible] स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 350 वाके ग्राम मोतीका-नगला तहसील कठूमर के विवादित आराजी मौके में मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 21.4.2022 को दावा के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। प्रार्थना-पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो वो बाद तकमील मूल वाद के साथ शामिल रहे। सुनाया उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)